अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक– एफ–8 (सेमीनार)अकाद/आकाशि/2008/1/ 100 दिनांक :–19 जून 2020

समस्त प्राचार्यगण
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन को अधिक प्रभावशाली करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं संकाय सदस्यों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों से परिचय कराने हेतु समय समय पर सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है । इनमें महाविद्यालय/आयुक्तालय स्तर पर कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ द्वारा प्रतिभागिता निभाई जाती है । आयुक्तालय स्तर से इस प्रकार के आयोजन की अनुमति एवं अकादमिक अवकाश दिये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है । इस स्वीकृति के आधार पर ही महाविद्यालयों में सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन एवं इस हेतु सह/सहायक आचार्यों को अकादमिक अवकाश दिया जाता है।

यह देखने में आया है कि इन सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी की महत्ता को प्रतिभागियों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। इस कारण कई बार ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन निर्धारित उद्देश्य हासिल नहीं कर पाते है । कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले आयोजन उच्चस्तरीय हों, मानक हों तथा ऐसे आयोजनों की एक प्रतिष्ठा हो, इस उद्देश्य से इनकी सार्थकता को बनाये रखने हेतु निम्न प्रकिया को अपनाये जाने के बाद ही आयोजन की अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगीः–

1. आयोजनों के लिये नियमानुसार औपचारिकताओं के साथ पर्याप्त समय (एक माह) पूर्व आयुक्तालय को सूचित किया जावे, ताकि आयुक्तालय स्तर पर भी उनका परीक्षण किया जा सके ।
2. वर्तमान एवं गत वर्ष में आयोजित किये गये सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी का सम्पूर्ण विवरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । (संदर्भ पत्रांक एफ–8(सेमीनार)अकाद/आकाशि/08/05/997 दिनांक 25.11.2019) महाविद्यालयों में विगत शैक्षणिक सत्र में आयोजित किये गये ऐसे सभी आयोजनों का विस्तृत विवरण आयुक्तालय भिजवाये जाने के पश्चात् ही, भविष्य में आयोजित होने वाले सम्मेलन/कार्यशाला/ संगोष्ठी के आयोजन हेतु आपके प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।
3. आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी से उच्च शिक्षा पर होने वाले सारगर्भित प्रभावों एवं इन सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतिकरण/पत्र वाचन हेतु चर्चा के विषय तथा इन विषयों की उच्च शिक्षा में प्रासंगिकता का विस्तृत विवरण ।
4. प्रतिभागियों द्वारा पत्र वाचन हेतु प्रस्तुत विषयवस्तु की <u>उनके सम्बन्धित विषय</u> में उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का संक्षिप्त विवरण ।
5. सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी के दौरान होने वाली गतिविधियों के फोटो प्रतिदिन मोबाईल के GPS MAP Camera APP के माध्यम से खींचकर अपने महाविद्यालय के आधिकारिक मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी के दौरान आपकी उपस्थिति आयोजन स्थल पर मानते हुये

आयुक्तालय द्वारा आपसे कभी भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है । अनुपस्थिति की स्थिति में सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी के लिये स्वीकृत अवकाश रद्द माना जाकर विभागीय कार्यवाही का आधार बनाया जायेगा ।

6. आयोजन स्थल का विवरण ।
7. प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या ।
8. एक शैक्षणिक सत्र में सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन की अनुमति 31 जनवरी पश्चात् नहीं दी जायेगी ।
9. आयोजन के पदाधिकारियों का सम्पूर्ण विवरण आयुक्तालय को भिजवाया जावे । अगर कोई पदाधिकारी/आयोजक/कार्यकारिणी सदस्य बाहर का कोई व्यक्ति है, तो उसका पूर्ण विस्तृत विवरण भिजवाया जावे एवं ऐसे सदस्य/सदस्यों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित कर लिया जावे ।
10. आयोजन के पश्चात् सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार को अपनी रिपोर्ट में समायोजित कर भिजवाया जावे ।
11. सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी के सत्रों में पत्र वाचन के दौरान प्रस्तुत किये गये पत्रों का अन्यत्र प्रकाशन होने की स्थिति में उनका सम्पूर्ण विवरण आयुक्तालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
12. सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी हेतु किये गये वित्तीय व्यय/सहायता, उनसे हुये आय का एवं इनके आयोजन उपरांत शेष राशि का समायोजन किस मद में किया गया, का सम्पूर्ण विवरण भिजवाया जावे।
13. इन सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिये महाविद्यालयों में सामान्य अवकाश के आदेश जारी नहीं होंगे, बल्कि महाविद्यालय में कार्यरत सम्बन्धित विषय के संकाय सदस्यों (सम्बन्धित विषय से 50 प्रतिशत संकाय सदस्य) को ही अवकाश प्रदाने किया जावे । सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी में विषयवस्तु के मल्टीडिसीप्लेनिरी होने की स्थिति में भी विभिन्न विषयों से 50 प्रतिशत के अनुपात में ही सह/सहायक आचार्यों को अनुमति प्रदान की जावें । सम्बन्धित विषय के एक ही संकाय सदस्य होने की स्थिति में प्राचार्य अपने विवेकानुसार अनुमति प्रदान करें ।
14. आयोजित की गयी सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी की रिपोर्ट इनके आयोजन की समाप्ति पश्चात् सात दिवस में आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. विभाग की पूर्वानुमति के बिना इन सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन एवं अवकाश से सम्बन्धित, महाविद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की, की गई कार्यवाही को सम्बन्धित संकाय सदस्य/प्राचार्य के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आधार माना जायेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

क्रमांकः–एफ–8 (सेमीनार)अकाद/आकाशि/2008/1/ 107 दिनांकः–19 जून 2020

प्रतिलिपि –

1– वैब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड हेतु प्रेषित है ।
2– रक्षित पत्रावली ।

19/6/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)